

नई शिक्षा नीति 2020

डॉ. श्याम सुंदर श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय)
गांधी वोकेशनल ऑटोनोमस कॉलेज,
गुना, (म0प्र0)

आप हम सभी लोग जानते हैं। कि सन 2020 में नई नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागू की गई है, इस एज्युकेशन पॉलिसी द्वारा हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिये बहुत लाभकारी साबित होगी, नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों को मूल्य आधारित समावेशी शिक्षा प्रदान की जावेगी उनके वैज्ञानिक मिजाज को विकसित किया जावेगा तथा उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिये तकनीक का उपयोग तथा ऑनलाईन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी (NETF) की भी स्थापना करने का प्रावधान है नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी छात्रों की बेहतरी के लिये कुछ अन्य जैसे फिटनेस अच्छा स्वास्थ्य नैतिक मूल्य का आधार आदि भी छात्रों को सीखने के लिये महत्वपूर्ण है। इस पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण भी किया जायेगा जिसे की भारत में पढने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढे और भारत के छात्रों को विदेशी संस्थानों में शोध करने का मौका मिल सके। छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिये शिक्षकों की सक्षम टीम का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पॉलिसी में बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। जिसमें बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ अध्ययन भी कराया जायेगा। शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ साथ भारतीय मूल्य लोकाचार परम्पराओं जनजाति परम्पराओं आदि के प्रति भी जागरूक होंगे। वह संस्थान जो अध्यापक शिक्षा प्रदान करेंगे वह शिक्षण से संचालित विषयों के साथ साथ विशेष विषय में विशेषज्ञों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।

नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु विषयक विद्यालय कॉलेज में स्थानांतरित करना है। इन संस्थानों के माध्यम से छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास किया जावेगा। पहले 10 +2 का पैटर्न फोलो किया जाता था। परंतु अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का पैटर्न फोलो किया जावेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 181 कार्यों की पहचान की गई इन कार्यों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सब्जेक्ट ऑप्शन रीजनल लैंग्वेज वेस्ट एज्युकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री में प्रवेश एवं निकासी की सुविधा क्रेडिट बैंक सिस्टम आदि शामिल है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जावेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020— भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के साथ में स्थापित किया जायेगा।

(HECI) का पहला अंगराष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (NHERC) होगा। यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिये एक साझा और सिंगल पाईट रेग्युलेटर की तरह काम करेगा। जिसमें शिक्षक शिक्षा शामिल है। किंतु चिकित्सकीय

एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है। और इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। कुछ महत्वपूर्ण मामले विशेष रूप से वित्तीय ईमानदारी सुशासन और सभी ऑन लाइन और ऑफ लाइन वित्त संबंधी मसलों का स्वप्रकटीकरण ऑडिट प्रक्रियाओं इंफ्रास्ट्रक्चर संकाय। कर्मचारी पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जायेगा। यह सूचना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर और सार्वजनिक वेबसाइटों जो कि (NHERC) द्वारा संचालित कि जाती है। पर मुहैया कराई जावेगी। अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को (NHERC) द्वारा सुना जावेगा और हल किया जावेगा।

ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने कि प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यापन होगी इसलिये (HECI)का दूसरा अंग मेटा एकेडियेटिंग निकाय होगा। जिसे राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद NAC के नाम से जाना जायेगा। NAC द्वारा सबकी निगरानी की जावेगी और इसका संचालन किया जायेगा। NAC द्वारा एक समुचित संस्था में संस्थानों कि मान्यता देने के अधिकार हेतु कार्य किये जायेगें। कम समय में ही ग्रेड मान्यता देने के लिये एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जावेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने संस्थान विकास योजना (IDP) के जरिये अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्व संचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानोंकलस्टर की तरह बनने के लिये प्रतिबद्ध बनेंगे।

शिक्षक शिक्षा की नियामक प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन— उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग (2012)के अनुसार स्टैंड अलोन टी.ई.आई. (TEI) जिसकी संख्या 10000 से अधिक है। अध्यापक शिक्षा के प्रति लेशमात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं। बल्कि इसके स्थान पर उंचे दामों पर डिग्रीयों को बेच रहे हैं। अतः इस सेक्टर और इसकी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्यवाहियों के द्वारा पुनुरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता हैं। जिससे की गुणवत्ता के उच्चतर मानकों को निर्धारित किया जा सके।

एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिये नियामक प्रणाली को उन निम्नस्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिये जाने के पश्चात कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान—

बी.एड. अब 4 साल का—नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बी.एड. को 4 साल का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षक की न्यूनतम योग्यता 4 साल का बी.एड. प्रोग्राम होगी। सभी स्टैंड एलोन शिक्षण संस्थान जो निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा इतिहास संगीत गणित कम्प्यूटर विज्ञान रसायन विज्ञान अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र इतिहास विज्ञान मनोविज्ञान प्रारंभिक वात्स्यायवस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, भारत से जुड़े ज्ञान और इनके मूल्यों लोकाचार कला परम्पराएँ और भी बहुत कुछ शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से हि स्नातक की डिग्री हासिल कर

चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं। के लिये अपने परिसर में 2 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं।

विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उनके लिये 1 वर्षीय कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, एवं 1 वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के लिये उत्कृष्ट उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की स्थापना की जावेगी।

सुविधायें एवं मानक— प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सघन जुड़ाव के साथ काम करने के लिये सार्वजनिक और निजी स्कूलों और स्कूल परिसरों का एक नेटवर्क होगा। जहां भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा व्यस्क और व्यावसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।

शिक्षक शिक्षा के एक समय मानकों को बनाये रखने के लिये पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षणों के माध्यम से होगा। शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्ष्य होगा। लेकिन शिक्षक फील्ड, शोध के अनुभवों को महत्ता प्रदान की जावेगी शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त संकाय सदस्यों को शिक्षक शिक्षा संस्थानों में आकर्षित और नियुक्ति किया जावेगा।

सभी नये पीएचडी प्रवेश कर्ताओं चाहे वह किसी भी विषय में प्रवेश ले, से अपेक्षित होगा की वे अपनी डॉक्टोरल प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके द्वारा चुने गये पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण शिक्षा/अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम है। नेशनल एज्युकेशन पालसी के अंतर्गत शिक्षकों के लिये व्यावसायिक विकास को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये दिक्षा प्लेटफार्म पर 50 घंटे का माड्यूल लांच किया गया है। इस माड्यूल के अंतर्गत 4 से 5 घंटे के 18 माड्यूल होंगे। इन माड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के लिये इस सर्विस ट्रेनिंग आयोजित की जा सकेगी।

सरकार द्वारा दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से ई लर्निंग का काफी विस्तार किया जावेगा। जिससे कि छात्रों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके।

भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेष सत्र से जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुये हैं। उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने कि प्रक्रियाये उस वातावरण में होती है। जहां अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है।

नई शिक्षा नीति में के. करस्तूरी रंगन कमेटी की उन सभी सिफारिशों को मंजूर किया गया है जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार की बात कही गई है।

7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्रीजी ने अपने संबोधन में कहा था। नई शिक्षा नीति छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनायेगी। और इसके साथ यह शिक्षा नीति उन्हे सभ्यता से जोडे रखेगी। उन्होने कहा की अब हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे है। जहां कोई इंसान एक प्रोफेशन अपनी पूरी जिंदगी फोलो नही करेगा। अब तक एज्युकेशन पॉलिसी व्हाट्यू थिंक पर फोकस करती थी। लेकिन यह नई शिक्षा नीति अब हाउ टू थिंक पर फोकस करेगी। US की NSF (नेशनल साईस फाउंडेशन) की तर्ज पर हम NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) ला रहे है। इसमें साईस और सोशल साईस भी शामिल किया गया है। ये बडे बडे प्रोजेक्ट की फाईनेंसिंग करेगा।

संदर्भ :-

- 1ण नई शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार)
- 2ण नई शिक्षा नीति 2020, मुख्य बिंदुकल्पना चौहान
- 3ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – डॉ. प्रशांत बख्शी
- 4ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – सरकारी बुकलेट
- 5ण www.education.govt.in राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)



Contributors Details:

डॉ. श्याम सुंदर श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष (शिक्षा संकाय)
गांधी वोकेशनल ऑटोनोमस कॉलेज,
गुना, (म0प्र0)